न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 23/2025 (GCMS NO. 2025/45)

बिमलेश पत्नी झण्डुराम जाति जाट निवासी ढाणी महला, भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)

– वादिया

बनाम

1. सुनिल पुत्र झण्डुराम जाति जाट निवासी ढाणी महला, भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
2. सुशिल पुत्र झण्डुराम जाति जाट निवासी ढाणी महला, भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
3. पूजा पुत्री झण्डुराम जाति जाट निवासी ढाणी महला, भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं (राज.)
4. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– प्रतिवादीगण

वकील वादिया – श्री श्रवण सिंह

वकील प्रतिवादी – श्री किशोर जांगिड़

दावा बाबत घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

निर्णय

दिनांक 28.02.2025

संक्षेप में वादी द्वारा पेश वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढागौड़जी की सरहद में आराजी नया खाता संख्या 92 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3157 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 3158 रकबा 1.1700 है0, खसरा नम्बर 3165 रकबा 0.6800 है0, खसरा नम्बर 3285 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 3297 रकबा 0.9000 है0, खसरा नम्बर 3441/3159 रकबा 0.0600 है0 व खसरा नम्बर 3242/3195 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.2700 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त आराजी में वादिया का 1/32 हिस्सा है। वादिया का अन्य सह खातेदार से हक हिस्से बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चूंकि वादिया का सही व वास्तविक नाम बिमलेश पत्नी झण्डुराम है जो वादिया के पहचान संबंधी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड व जनाधार कार्ड आदि में दर्ज है। परंतु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही पूर्वक वादिया के नाम का सत्यापन किये बिना ही वादिया का नाम बिमला देवी पत्नी झण्डुराम गलत दर्ज कर दिया गया। बिमलेश पत्नी झण्डुराम व बिमला देवी पत्नी झण्डुराम दोनों नामों की एक ही महिला है। उपरोक्त प्रकार से नाम की भिन्नता होने से वादिया को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वादिया राज्य सरकार द्वारा कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। जिस कारण वादिया को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए वादिया बिमला देवी पत्नी झण्डुराम के स्थान पर बिमलेश पत्नी झण्डुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद इस न्यायालय में पेश हुआ है। इस कारण बिमलेश पत्नी झण्डुराम का राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर बिमला देवी पत्नी झण्डुराम की जगह बिमलेश पत्नी झण्डुराम का नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। अन्त में वाद वादिया स्वीकार फरमाया जाकर जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड में वादिया बिमला देवी पत्नी झण्डुराम के नाम दर्ज 1/32 हिस्से के स्थान पर वादिया बिमलेश पत्नी झण्डुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करवाये जाने की अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट किशोर जांगिड़ ने वकालतनामा पेश किया व वादपत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन पर बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया द्वारा उक्त आराजी में बिमला देवी पत्नी झण्डुराम के नाम दर्ज 1/32 हिस्से के स्थान पर वादिया बिमलेश पत्नी झण्डुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की अनापत्ति एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढागौड़जी की सरहद में आराजी नया खाता संख्या 92 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3157 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 3158 रकबा 1.1700 है0, खसरा नम्बर 3165 रकबा 0.6800 है0, खसरा नम्बर 3285 रकबा 0.3600 है0, खसरा नम्बर 3297 रकबा 0.9000 है0, खसरा नम्बर 3441/3159 रकबा 0.0600 है0 व खसरा नम्बर 3242/3195 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.2700 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया बिमला देवी पत्नी झण्डुराम के नाम दर्ज 1/32 हिस्से के स्थान पर वादिया बिमलेश पत्नी झण्डुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं झुन्झुनूं